

ज्ञापन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.09.08 को जारी ज्ञापन सं.14028/3/2008-स्था.(एल) के अनुसार श्री चन्द्र शेखर मित्रा, उपनिदेशक चाय विकास (पी) के अपराहन 31.01.2023 को बोर्ड के मुख्यालय की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनके खाते में 300 दिन (तीन सौ दिन) के अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान करने की अनुमति दी जाती है।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव

वितरण:

1	श्री चन्द्र शेखर मित्रा, उपनिदेशक चाय विकास(पी), चाय विकास निदेशालय, टी बोर्ड, कोलकाता	
2	वि.स.एवं मु.ले.अ.	
3	सहायक सचिव	
4	ले.अ. (वेतन)	
5	उपाध्यक्ष के सचिव	
6	वि.स.एवंमु.ले.अ./सचिव के निजी सहायक	
7	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	टीबीइए	
9	स्थापाना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित